

टेण्डर फार्म

क्रमांक—.....

मूल्य दो सौ पच्चीस रूपया

जिला पंचायत, रायबरेली

जिला रायबरेली

नाम कार्य

सूची कार्य जिसका टेण्डर दिखाया गया

क्र०सं०	नाम कार्य	टेण्डर की दर अंको तथा षब्दों में

1. प्रत्येक निविदा दाता को अपने गृह जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा की सम्पूर्ण धनराशि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रायबरेली के पदनाम से बैंकर चेक, ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर अथवा जिला पंचायत रायबरेली की प्रपत्र 5 पर जमा की गयी धनराशि की रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. जिला पंचायत के किसी भी प्रकार के बकायेदार को निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। बकायेदार अपनी बकाया धनराशि जमा कर अदेयता प्रमाण पत्र के साथ निविदा डाल सकता है।
4. 100 रु के स्टाम्प पर इस आषय का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा की प्रबन्धन के दौरान उपविधि के अनुसार वसूली की जायेगी एवं जन समान्य के लिये स्थल पर निर्धारित न्यूनतम सुविधायें मुहैया करायीं जायेगीं।
5. टेण्डर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत में निहित होगा। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
6. टेण्डर स्वीकृत होने पर बोलीदाता को निर्धारित मूल्य के जनरल स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।
7. बाजार/स्टैण्ड का निरीक्षण किसी भी समय जिला पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा सकता है।
8. तहबाजारी/स्टैण्ड शुल्क की वसूली जिला पंचायत द्वारा जारी की गयी रसीदों पर ही करनी होगी। जिन्हें कार्यालय से निर्धारित मूल्य जमा करने के उपरान्त प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से छपाई गयी रसीदों पर वसूली करते पाये जाने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। प्रयोगशुदा रसीदों के प्रतिपण कार्यालय में जमा करना होगा।
9. तहबाजारी/टैक्सी स्टैण्ड की वसूली कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरों पर करना होगा। निर्धारित दर से अधिक वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर पूर्णनीलाम की कार्यवाही की जायेगी।
10. बाजार/स्टैण्ड का संचालन समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं जिला पंचायत की प्रचलित उपविधियों तथा जारी शासनादेशों के अनुसार करनी होगी।
11. किसी भी माफिया गति विधि में संलिप्त व्यक्ति को निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
12. यदि दर अंको तथा षब्दों में नहीं लिखी गई तो टेण्डर पर विचार न किया जा सकेगा।
13. निविदा फार्म सीधे जिले की वेबसाइट 1जजचध्दतमइंतमसपण्दपबण्पदध से सीधे डाउनलोड की जा सकती है। जिसके लिये निविदा फार्म मूल्य तथा निविदा धनराशि सीधे जिला पंचायत, रायबरेली की जिलानिधि यूनियन बैंक आफ इण्डिया के खाता सं० - 302402010992077 में जमा कर, रसीद निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार क्रमांक - 01,02,03,04 एवं 13।

हस्ताक्षर ठेकेदार

दिनांक

नाम –

.....

साक्षी 1.

पता –

.....

2.

.....

.....

दिनांक

कर अधिकारी
जिला पंचायत, रायबरेली